2015/00174 (46)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मुख्यालय कैथरी)

पीठासीन अधिकारी --विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या--104/2015

1--ओमप्रकाश 2--बहादुरसिंह 3--चन्द्रभान 4--राधेश्याम पुत्रगण स्व0 तेजसिंह जाति काछी निवासी ग्राम तलैया का नगला, दौनारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज0)

5--मुस0 सन्तोदेवी पुत्री स्व0 तेजसिंह पत्नी नत्थीलाल जाति काछी निवासी ग्राम गढीदुवाटी तहसील व जिला धौलपुर

6--मुस0 शंकरिया पुत्री स्व0 तेजसिंह पत्नी कन्हैयालाल जाति काछी निवासी ग्राम चकसामरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर

7--मु0 नहनीदेवी पुत्री स्व0 तेजसिंह पत्नी घूरेलाल जाति काछी निवासी ग्राम मुगरवारी तहसील व जिला धौलपुर

8--मुस0 कस्तूरीदेवी पत्नी स्व0 हाकिमसिंह जाति काछी निवासी ग्राम सायपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

9--भरतसिंह पुत्र स्व0 श्री हाकिमसिंह जाति काछी निवासी ग्राम सायपुरा तहसील सैपऊ

10--मुस0 अंगूरीदेवी पुत्री स्व0 हाकिमसिंह पत्नी विजयसिंह जाति काछी निवासी ग्राम गडुआ का पुरा तेहरा जिला आगरा

---------------वादीगण

बनाम

1--सुरेश पुत्रश्री अंगनुआ 2--मु0 बैकुण्ठी पत्नी रामदयाल 3--गुटटो पुत्रश्री कुमरपाल जाति काछी निवासी ग्राम तलैया का नगला दौनारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

4--पंजाब नेशनल बैंक शाखा बसईनबाब

5--राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ

..........प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति--

1--श्री ओमप्रकाश व बहादुरसिंह -- वादीगण

2--गुटटो--प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक :10.7.2017

वादीगण की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में विवादित आराजी खसरा 62, 63, 64, कुल किता तीन कुल रकवा 3 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम पिपरौआ तहसील सैपऊ का प्रस्तुत किया । उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 27.6.2017 को दावा वादीगण प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटंवारा किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार सैपऊ को आदेशानुसार कार्यवाही कर अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा कैम्प के दौरान ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारों को सुना तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारों द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की । तहसीलदार सैपऊ द्वारा मुताबिक आदेश विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये किये जाना प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम पिपरौआ तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है ।

1– ओमप्रकाश, बहादुरसिंह, चन्द्रभान, राधेश्याम पुत्रान व सन्तोदेवी, शकरियादेवी, नहनीदेवी पुत्रीयान तेजसिह हिस्सा बराबर 7/8, कस्तूरी पत्नी हाकिमसिंह, भरतसिंह पुत्र व मंजूदेवी पुत्री पिसरान हाकिमसिंह हिस्सा बराबर 1/8 जाति काछी निवासी दौनारी तहसील सैपऊ

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	64/2	0.11
कुल	01	0.11

2–गुटटो पुत्रश्री कुमरपाल हिस्सा 2/5, राहिन पी एन बी शाखा बसईनबाब, सुरेश पुत्रश्री भगनुआ, बैकुण्ठी पत्नी रामदयाल हिस्सा 3/5 जाति काछी निवासी ग्राम दौनारी तहसील सैपऊ

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	62	0.17
	63	0.18
	64/1	0.03
	64/3	0.17
कुल	04	2.15

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें। लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.7.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
ग्राम पंचायत ....